पुलिस प्रशिक्षण के सिद्धान्त
2015

पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण

पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश

इन्दिरा भवन, चतुर्थ तल, अशोक मार्ग, लखनऊ

मो0– 91–9454400102

28-12-15

पुलिस प्रशिक्षण के सिद्धान्त

प्रशिक्षण का उद्देश्य एक कार्मिक के "**ज्ञान, कौशल तथा मनोवृत्ति**" को इस प्रकार बदलना है ताकि वह अपनी परिवर्तित भूमिका या कार्य में बदलाव को वांछित ढंग से संपादित कर सके।

अब इन तीनों बिन्दुओं पर अलग–अलग विचार करें। जब भी किसी नये व्यक्ति को किसी कार्य के लिये लगाया जाता है या वर्तमान कार्मिक के कार्य में परिवर्तन (मौलिक या प्रकियात्मक) होता है तो यह आवश्यक हो जाता है कि उन बदली हुई परिस्थितियों का सामना करने के लिये उसे जानकारी दी जाये। सम्मुख उपस्थित कार्य कैसे करना है, कोई **मशीन** कैसे उपयोग करनी है, क्या सीमायें हैं, मानक क्या हैं, विधिक/सामाजिक मर्यादाये/अपेक्षायें क्या हैं, सुरक्षा के क्या उपाय करने हैं, इत्यादि, इत्यादि .....। यह **"ज्ञान"** है।

कार्य को सहूलियत की दृष्टि से छोटे–छोटे हिस्सों में बॉटा जा सकता है। किसी कार्मिक के उस हिस्से को वास्तव में किस प्रकार से करना है यह व्यावहारिक रूप से कराकर सम्यक् अभ्यास कराये जाने से "**कौशल**" का विकास होता है। इससे कार्मिक किसी कार्य को **मानक ढंग से करने का** "**कौशल**" प्राप्त कर लेता है। संगठन द्वारा **स्वीकार्य तरीके से ही** कार्य किया जाना होता है। इस प्रकार सही कार्य करने का अभ्यास होने पर हम कह सकते हैं कि अमुक कर्मी ने अपेक्षित **"कौशल"** प्राप्त कर लिया है।

इसके साथ ही और सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कार्मिक की "**मनोवृत्ति**" में कार्य/संगठन की आवश्यकतानुसार परिवर्तन लाया जाये। किसी संगठन में या स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को करने वाले व्यक्ति को अपनी **स्वाभाविक/प्राकृतिक(कुदरती) मनोवृत्ति के अनुसार व्यवहार नहीं करना होता है**। उसे अपनी मनोवृत्ति, रूझान तथा कार्य करने की भावना में मर्यादित, सर्व–स्वीकार्य, सुसंस्कृत एवं संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप परिवर्तन लाना होगा। यह परिवर्तन लाना ही कुशल प्रशिक्षण की परीक्षा है। एक प्रशिक्षित व्यक्ति की क्रिया संतुलित, सुसभ्य एवं मर्यादित होनी चाहिए तथा लोकहित से दिग्दर्शित होनी चाहिए। ऐसा होने पर यह कहा जा सकता है कि अमुक कर्मी की **"मनोवृत्ति"** में अपेक्षित परिवर्तन हो गया है।

पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण

आधारभूत प्रशिक्षण :–किसी पद पर सीधी भर्ती से या प्रोन्नति से नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों को उस पद के कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अभाव में कार्मिक उस पद का कार्य नहीं कर पायेगा। ऐसे प्रशिक्षण पद धारक के लिये आधार स्वरूप है, अतः अनिवार्य है। ऐसे प्रशिक्षण को आधारभूत प्रशिक्षण कहा जाता है।

सेवाकालीन/नवीनीकरण प्रशिक्षणः– कार्मिकों को लगातार हो रहे परिवर्तनों को आत्मसात करने तथा रूटीन कर्तव्य से उत्पन्न जड़ता को दूर करने के उद्देश्य से सेवाकालीन/नवीनीकरण कोर्स कराये जाते हैं। यह कार्य दक्षता को बढ़ाने वाले होते हैं।

विशिष्ट/लक्षित प्रशिक्षण :–कार्य क्षेत्र में मौलिक, प्रकियात्मक या संसाधन सम्बन्धी परिवर्तन होने पर ऐसे परिवर्तन को प्रबन्धित करने के लिये सम्यक प्रशिक्षण जरूरी होता हैं। ऐसा न होने पर **लक्षित कार्य करना संभव नहीं होगा**। इस नव उपस्थित कार्यकलाप को कुशलतापूर्वक संपादित करने की क्षमता विकसित करने हेतु ऐसे प्रशिक्षण कोर्स परिकल्पित(डिजाइन) किये जाते हैं।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

ज्ञान :– पद धारक द्वारा उस पद के कर्तव्यों के सही संपदान हेतु आवश्यक विधिक, प्रकियात्मक एवं मानविकी/समाज शास्त्रीय ज्ञान दिया जाना चाहिये। जहॉ यह आवश्यक है कि आवश्यक ज्ञान प्रदान किया जाये वहीं यह भी आवश्यक है कि **अनावश्यक ज्ञान न दिया जाये**। इससे कोर्स लम्बा हो जाता है और प्रशिक्षण की एकाग्रता (Foucs) बिगड़ जाती है। उदाहणार्थ साक्ष्य अधिनियम की पूरी जानकारी पुलिस उपाधीक्षक/निरीक्षक/उप निरीक्षक के लिए आवश्यक है, परन्तु आरक्षी/मु0आरक्षी के लिये नहीं। इसी प्रकार भा0द0सं0/साक्ष्य अधिनियम की जितनी जानकारी उप निरीक्षक ना0पु0/निरीक्षक ना0पु0 के लिये आवश्यक है उतनी प्लाटून कमाण्डर/आर0एस0आई0/प्रतिसार निरीक्षक के लिए आवश्यक नहीं है। इस बात को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम डिजाइन किया जाना चाहिये।

कौशल :–प्रश्नगत पदधारक के कर्तव्यों का विश्लेषण करके इसे छोटे–छोटे स्वतंत्र किया–कलापों में बॉट लिया जाये। तदुपरान्त उस क्रिया कलाप का **"निकटस्थ व्यावहारिक अभ्यास"** कराया जाये। किसी पदधारक को जो कार्य नहीं करना है उसे उसका प्रशिक्षण नही दिया जाना चाहिये। इससे धन का अपव्यय एवं समय की बर्बादी के साथ ही प्रशिक्षण की गुणवत्ता भी खराब होती है।

हिंसक/हिंसा पर उतारू व्यक्ति को भी **न्यूनतम शारीरिक चोट पहुँचाकर काबू में किया जाये**। इस प्रकिया में **व्यक्ति को अपमानित न किया जाये**। पुलिसजन को इस कार्य के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

मनोवृत्ति :– यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है और दुर्भाग्य से सर्वाधिक उपेक्षित है। यहाँ यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम प्रशिक्षकों, खासकर **आउट–डोर प्रशिक्षकों की मनोवृत्ति बदली जाये**। अतः आई0टी0आई0/पी0टी0आई0 कोर्सों में इसे खासकर लक्षित किया जाये। **"फोर्स"** की मानसिकता से बाहर निकलकर **"सेवा प्रदाता"** की भूमिका धारण की जाये। समस्त प्रवर्तन कार्य (Enforcement action) सभ्य एवं शालीन ढंग से सम्पादित किया जाये। किसी भी व्यक्ति (अभियुक्त/पीड़ित/अन्य) के स्वाभिमान को ठेस न पहुँचने पाये, किसी प्रकार से अपमानजनक या उपेक्षापूर्वक व्यवहार न किया जाये। **प्रशिक्षुओं के आत्मसम्मान एवं वैयक्तिक गरिमा का ध्यान रखा जाये। एक स्वाभिमानी व्यक्ति ही दूसरे के प्रतिष्ठा की रक्षा कर सकता है।**

मानव द्वारा स्वाधीनता के संघर्ष **स्वाभिमान एवं स्वशासन** के लिये होते है। **सुशासन किसी भी स्थिति में स्वशासन का विकल्प नहीं बन सकता है।** स्वशासन मानव की अस्मिता एवं स्वाभिमान की राजनैतिक अभिव्यक्ति है। स्वशासन में ही सुशासन एवं विकास की उच्च मंजिले व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। कितनी भी उत्कृष्ट गुणवत्ता की सेवा उसे हमवार नहीं बना सकती, अगर इस प्रकिया में उसके स्वाभिमान/सम्मान को ठेस पहुँचती है।

पुलिस के लिये नितान्त आवश्यक है कि वह स्वयं लोगों के मान–सम्मान को ठेस न पहुँचाये बल्कि उन्हे **महत्वपूर्ण एवं सम्मानित होनें का एहसास** कराये। **राज्य की संस्थाओं से व्यक्ति को सम्मान मिले**, यह प्रजातन्त्र एवं स्वशासन की प्रथम आवश्यकता एवं पहचान है। प्रजातन्त्र में शासन व्यवस्था एवं राज्य संस्थायें जनता के ट्रस्ट पर बनी हैं। ट्रस्टी को उतनें ही अधिकार हैं, जितनें ट्रस्ट में उसे दिये गये है। ट्रस्टीगण मालिक नहीं होते। संवैधानिक/वैधानिक संस्थाओं को जनता ने संविधान/विधान के जरिये निर्दिष्ट दायित्वों के निर्वहन के लिये स्थापित किया है। पुलिस एवं अन्य कर्मचारी उनके सेवक(Employees) हैं, इन्हे मालिक होनें या शासक होनें का दम्भ नहीं पालना चाहिए।

मनोवृत्ति में अपेक्षित परिवर्तन के अन्तर्गत निम्न गुण विशेष रूप से विकसित किये जायें :–

1) **धैर्य**
2) **संयम**
3) **करूणा**
4) **विनम्रता**
5) **कृतज्ञता**

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये योगाभ्यास/प्राणायाम, ध्यान/लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्तियों के प्रेरक व्याख्यान, साहित्य का अध्ययन, प्रेरक संगीत एवं ललित कलाओं का उपयोग किया जाये।

प्रशिक्षण की दृष्टि से ध्यान देने योग्य कतिपय बिन्दु निम्नवत हैं :–

1. कांस्टेबिल से लेकर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी तक को **कठिन एवं उत्तेजक परिस्थितियों में भी संयम बनाये रखकर** कार्यवाही करने का **गहन एवं दीर्घकालिक प्रशिक्षण** दिया जाता है। अतः पुलिस अधिकारी को एक सामान्य नागरिक की तरह किसी किया के ऊपर स्वाभाविक प्रतिकिया न करके **सुप्रशिक्षित जनसेवक** की तरह ही किया या प्रतिकिया करनी चाहिए।
2. कठिन एवं खतरनाक परिस्थितियों में धैर्य बनाये रखा जाये।
3. उत्तेजक, उकसानेवाली या अपमानंजनक परिस्थिति में संयम बरतें। नियंत्रित एवं सभ्य व्यवहार/किया ही करें।
4. किसी को भी सन्देह की नजरों से न देखा जाये और उसे छोटा दिखाने का कार्य न किया जाये ।
5. दूसरे के दुख को देखकर उसको हृदय से अनुभव करना करूणा कहलाता है। यह एक उदात्त मानव गुण है। एक पुलिस अधिकारी का यह स्वभाविक गुण होना चाहिए।
6. उत्तेजित व्यक्ति को भी शान्ति एवं सद्भावपूर्वक शान्त किया जाये। स्वयं उत्तेजित न हों। वह हिंसक न हो तो शान्तिपूर्वक पूरी बात सुनें और उचित कार्यबाही का आश्वासन दें । पीड़ित व्यक्ति द्वारा **अपनी पीड़ा की अशिष्ट एवं अनुचित अभिव्यक्ति पर भी पुलिस को हिंसक या अपमानजनक प्रतिकिया नहीं करनी चाहिए।**

7. हिंसक/हिंसा पर उतारू व्यक्ति को भी न्यूनतम शारीरिक चोट पहुँचाकर काबू में किया जाये। इस प्रक्रिया में व्यक्ति को अपमानित न किया जाये। पुलिसजन को इस कार्य के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाये एवं गहन अभ्यास कराया जाये।

8. भले ही कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी पर या आमतौर पर पुलिस विभाग पर अविश्वास व्यक्त कर आरोप लगाये या अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करे, परन्तु पुलिस के द्वारा इसका प्रतिउत्तर उत्तेजित या अशोभनीय नहीं होना चाहिए। ऐसे मामले में कानून को खींचकर मुकदमा न बना दिया जाये।

9. अपनी गलती न होने के बावजूद भी यदि हमारे कार्य से किसी को कष्ट या असुविधा हुयी हो तो उससे **क्षमा मांगना (No fault apology)** उदारता एवं बड़प्पन की निशानी है।

10. **कमजोर/गरीब व्यक्ति के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें जैसा किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति या अधिकारी के साथ करते हैं।**

11. यदि **दिल से सेवा का भाव** रखा जायेगा तो उचित सम्बोधन अपने आप बन जायेंगे ।

12. "**पुलिस शासक नहीं, सेवक है**", इस बात को हमेशा अपने दिल–दिमाग में बैठाकर रखें ।

पुलिस विभाग के विभिन्न **प्रशिक्षण पाठ्यक्रम** बनाने, **पाठ्य पुस्तकों** के तैयार करने में तथा **वास्तविक प्रशिक्षण** प्रदान करते समय इन सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाये। पुलिस प्रशिक्षण संस्थान "**ज्ञान, कौशल एवं मनोवृत्ति**" में अपेक्षित परिवर्तन लाकर **सही पुलिस अधिकारी** तैयार करने में महती भूमिका अदा करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है।

24/9/15

सुलखान सिंह,
पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

दिनांक: 01–09–2015